**संख्या:361/2022/1618/35-4-2022/35-4099/156/2021**

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 अक्टूबर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-अयोध्या में नगर निगम अयोध्या में शासनादेश सं0-224/2021/1929/35-4-2021 दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 60 कार्यों में से निम्नलिखित 01 कार्य की स्वीकृति निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विवरण निम्नवत है:-

(लाख रू. में)

| **कार्य** | **अनुमोदित लागत** | **अवमुक्त धनराशि** |
|---|---|---|
| गद्दौपुर में पेट्रोल टंकी से नहर तक हाटमिक्स सड़क के दोनों तरफ इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य। | 213.93 | 21.00 |

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा निरस्त उपर्युक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपए 21.00 लाख को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कर ट्रेजरी बाउचर सहित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15 नवम्बर, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

( डॉ0 संजीव भारद्वाज )
संयुक्त सचिव।

संख्या:361/2022/1618(1)/35-4-2022/35-4099/156/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या।
9- मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अयोध्या।
13- अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम अयोध्या।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( डॉ0 संजीव भारद्वाज )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in